ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश - 176040 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि: 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:

प्रधान:

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमति मीना कुमारी	01-04-15 से लगातार

सचिव:

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री नरेश चन्द	01.04.2015 से 31-03-18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि ₹(लाखों में)**

1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	30.43
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	.27
3	9(1)	नगद शेष संभावित दुरूपयोग	0.07
	9(2)	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना एवं उसका संभावित दुरूपयोग	--
4	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.91
5	13	क्रय की गई सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना	4.83
6	14	संकर्मों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना:	8.37
7	15	बिल/ वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन न हो पाना	2.15
8	16	दिनांक 31-03-18 को 180 सीमेंट बैगों को सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के अंतिम स्टॉक में न दर्शाने बारे:	0.53

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण: -

ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01 -09-2018 से 10 -09-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	03/2016	05/2015
2016-17	08/2016	02/2017
2017-18	06/2017	01/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न

होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7,200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009" को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-70 दिनांक 10 /09/2018 के अन्तर्गत अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को के०सी०सी० बैंक के माँग ड्राफ्ट संख्या:216927 दिनांक 20-09-2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गयाI

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(1) **स्वस्त्रौत:**

ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	495067.79	318529	813596.79	242556	571040.79
2016-17	571040.79	207413	778453.79	271487	506966.79
2017-18	506966.79	495633	1002599.80	91640	910959.79

(2) अनुदान:

ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	643035.90	5332495.00	5975530.90	4936634.98	1038895.92
2016-17	1038895.92	6189311.00	7228206.90	3497434.93	3730771.99
2017-18	3730771.99	5650207.00	9380978.99	6338166.31	3042812.68

(3) दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी के बैंक खातों में अन्तिम शेषों का विवरण:

क्रम संख्या	बैंक	शीर्ष	बैंक खाता संख्या	राशि ₹
1	KCCB BIJHARI	GCB- A	20036004197	655243.00
2	KCCB BIJHARI	GCB-B	20036003692	1184831.00
3	KCCB BIJHARI	GCB-B	20036003910	9042.00
4	KCCB BIJHARI	SBM	50061280325	270509.00
5	PNB BIJHARI	14th	2248000106042260	1689758.68
6	KCCB BIJHARI	IWMP	20036004288	77946.00
7	KCCB BIJHARI	IWMP	5557662332	57449.00
	TOTAL BALANCE			**3944778.68**
	CASH IN HAND			8993.79
	G.TOTAL			**3953772.47**

5 बैंक समाधान विवरणी:

स्व स्त्रोत: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'क' का अंतिम शेष	910959.79
अनुदान: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'ख' का अंतिम शेष	3042812.68
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता **'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष**	**3953772.47**

दिनांक **31-03-2018** को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(3) के अनुसार खाता 'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष	**3944778.68**
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत नगद शेष	8993.79
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत नगद शेष सहित कुल बैंक शेष	**3953772.47**
अंतर की राशि	**00**

5.1 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) सहपठित नियम 4 के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया है। बल्कि खाता -क एवं खाता -ख के लिए एक ही रोकड़ बही का संधारण किया गया है, जिसके कारण किसी भी स्तर पर गल्ती होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त स्व: स्त्रोत आय को खाता-क व अनुदानों को खाता–ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि जिससे ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹30.43 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट-1**) के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹30,42,813 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.27 लाख वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय से संबन्धित उपलब्ध अभिलेख/अंकेक्षण के दौरान प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को गृहकर, बकाया दुकान किराया व मोबाइल टावर शुल्क के रूप में वसूली हेतु ₹27430/-(₹380 + ₹10,800 व ₹16,250) शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध कियस गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए ।

(1) गृह कर

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	0	44620	44620	44620	0
2016-17	0	61425	61425	7240	54185
2017-18	54185	62335	116520	116140	380

(2) बकाया दुकान किराया:

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	0.00	84000.00	84000.00	84000.00	0.00

2016-17	0.00	84000.00	84000.00	39600.00	44400.00
2017-18	44400.00	84000.00	128400.00	117600.00	10800.00

(3) मोबाइल टावर शुल्क:

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16		10000.00	10000.00	5000.00	5000.00
2016-17	5000.00	10000.00	15000.00	2500.00	12500.00
2017-18	12500.00	10000.00	22500.00	6250.00	16250.00

नोट: - मोबाइल टावरों की इन्स्टालेशन तथा दिनांक 01-04-15 को बकाया राशि के सम्बन्ध में कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न ही इस संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध कारवाई गई कि ये टावर किस-2 कंपनी के हैं, किस-2 की भूमि पर किस-2 तिथि से स्थापित हैं आदि तथ्यों का प्रमाण उचित स्त्रोत से(भूमि मालिकों से) एकत्रित करते हुए तदानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी अपेक्षित है।

9(1) नगद शेष ₹0.07 लाख का सम्भावित दुरूपयोग :-

रोकड़ वही खाता”क” व “ख” पेज 236 के अनुसार दिनांक 01-04-15 को 2,000 चैक द्वारा नगद शेष तथा रोकड़ वही 13वां व 14वां वित्त आयोग के अनुसार दिनांक 15-06-13 (CBP-11) से दिनांक 20-12-15 (CBP-67) तक ₹5,240 को वार्ड पंच दिनेश कुमार के पास नक़द दर्शाया है जिसका तथ्यों तथा आंकड़ों सहित औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त राशियों को लम्बी अवधि तक नियमाविरूद्ध हस्तगत रूप में रखने के कारण उतरदायियों से वसूल करना सुनिश्चित किया जाए।

9(2) निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना एवं उसका संभावित दुरूपयोग:-

पंचायत की सामान्य रोकड़ वही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि को रखा गया था (जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट “क”** पेज 1 से 5 मेँ वर्तमान सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा संकलित विवरणानुसार दिया गया है), अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1030 से लेकर ₹47276 तक की राशि को हस्तगत रखा गया था। जबकि सचिव द्वारा केवल ₹1000 तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है, जोकि {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है बल्कि परिशिष्ट में बर्णित अवधि के दौरान हस्तगत राशि के दुरूपयोग की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अत: नियमों के विपरीत हजारों रुपयों की राशियों को हस्तगत रखने का तथ्यों तथा आंकड़ों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट

करें अन्यथा **परिशिष्ट "क"** में दर्शाई गईं राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए l

10 विवाह पंजीकरण शुल्क₹0.01 लाख की कम वसूली:

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया कि पंचायत ने चयनित मास 06/2017 तक निम्नविवरणानुसार ₹1000 पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किए गए थे जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण के द्वारा आपति उठाने पर इस राशि को वसूल करके रसीद संख्या 116215/296 दिनांक 05/09/2018 के द्वारा निधि में जमा करवा दिया गया जिस की सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 18 में कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक को न दोहराया जाए।

क्रमांक संख्या	पंजीकरणकी दिनांक	शादी की दिनांक	पंजीकरण दिनांक	पंजीकरण शुल्क	वसूलकी गई राशी (₹)	शेष राशी (₹)
1	24/2017	18/04/17	07/06/17	400	0	400
2	25/2017	04/06/17	13/06/17	200	0	200
3	27/2017	18/04/17	30/06/17	400	0	400
कम वसूली गई राशि				**1000**	**0**	**1000**

11 गृह कर की ₹0.03 लाख को जमा न करवाना

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मास 06/2017 में रसीद बुक संख्या:291 की रसीद संख्या: 132201 से 132259 तक के द्वारा ₹8840 की गृह कर की वसूली की गई थी परन्तु जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में केवल ₹5780 ही जमा किए गए थे। इस प्रकार ₹3060 की राशी जमा नहीं करवाई गई थी जोकि गम्भीर आपतिजनक मामला है। अंकेक्षण के द्वारा आपति उठाने पर ₹3060 को वसूल करके रसीद संख्या:116214/296 दिनांक 05/09/2018 के द्वारा जमा करवा दिया गया जिस की सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 18 में कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक को न दोहराया जाए।

12 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.91 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-**

अंकेक्षण में वाउचरों की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। **परिशिष्ट "2" एवं टिप्पणी-1** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹**3,91,372** के स्टॉक/स्टोर का क्रय हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 के प्रावधानों के अनुसार न करके एवं निविदा सम्बन्धी अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। स्टोर/ स्टॉक का क्रय उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा व्यय वाउचरों पर संबन्धित स्टॉक/स्टोर रजिस्टर का नाम, पेज संख्या/क्रम संख्या की सत्यापित entry दर्शाते हुये सम्पूर्ण अभिलेख का संबन्धित रजिस्टरों एवं माप पुस्तिकाओं से क्रास संदर्भ स्थापित करना भी सुनिश्चित किया जाए।

13 **क्रय की गई ₹4.83लाख की सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना** :-

हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 से 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था l परन्तु पंचायत के अवधि 04/15 से 3/18 तक के चयनित मासों के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "2"** एवं टिप्पणी-2 में दिये गए विवरणानुसार ₹ 4,82,876 की सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था और न ही नियम 72(2) की अनुपलना के समर्थन में कोई रिटर्न/संबन्धित रजिस्टर प्रस्तुत किया गया l मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग की जाँच नहीं हो सकी। इन मदों के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा तैयार व प्रस्तुत अभिलेख स्पष्ट व स्वत: अंतर्विष्ट नहीं था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया l अत: पंचायत/ विभागीय स्तर पर आवश्यक विस्तृत जांच उपरांत इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

14 ₹8.37 लाख के निर्माण कार्यों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान अवधि 04/2015 से 03/2018 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण **परिशिष्ट “2” एवं टिप्पणी-3 में दिये गए विवरणानुसार** दर्शाये गये भुगतान ₹8,36,911 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप निर्माण कार्य वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुलनात्मक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी । अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

15 ₹2.15 लाख के बिल/ वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन न हो पाना:-

अंकेक्षण में **परिशिष्ट “2” व टिप्पणी-4 में दिये गए विवरणानुसार** बिल/वाउचरों में क्रय/किराए पर ली गई सामग्री एवं सामान की ढुलाई इत्यादि हेतु चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन दूरी, मात्रा, आकार, प्रकार, परिमाप,मेक/मॉडल इत्यादि विशिष्टताओं के अभाव में नहीं हो पाया। अत: उक्त बिल/वाउचरों के तहत क्रय सभी सामग्रियों हेतु चार्ज दरों को आवश्यक विवरणों सहित पूर्णत: न्यायसंगत ठहराया जाए अन्यथा ₹2,15,405 की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए एवं भविष्य में भी क्रय करते समय बिल/वाउचरों में चार्ज दरों को पूर्ण न्यायसंगत ठहराने हेतु आवश्यक विशिष्टताओं का समर्थित अभिलेख में उल्लेख करना/करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 दिनांक 31-03-18 को ₹0.53 लाख मूल्य के 180 सीमेंट बैगों को सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के अंतिम स्टॉक में न दर्शाने बारे:

1. पंचायत के सामान्य खाते के सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 13 के अनुसार दिनांक 31/03/2018 को स्टॉक में 292 सीमेंट के बैग शेष थे मगर जांच में पाया गया कि पंचायत ने दिनांक 31/03/2018 को स्टॉक अन्तिम शेष में सीमेंट का बकाया केवल 112 बैग दर्शाए गए जो कि आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: इस का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस प्रकरण की जांच कर के अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए और सम्बंधित से 180 बैग की अब वसूली की जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

2. पंचायत के 14th FC सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 11 व 12 में दिनांक 07/03/2017 व 01/10/2017 को स्टॉक में 20 बैग वास्तविक अन्तिम शेष से अधिक दर्शाए गए थे और इन अधिक दर्शाए गए सीमेंट के 20 बैगों को कार्य के लिए जारी भी किया गया दर्शाया गया जो कि गम्भीर आपतिजनक है जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस प्रकरण की जांच कर के अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए ।

17 बोर्ड राइटिंग एवं फोटो हेतु एक ही फर्म से 11 अलग-2 बिल लेकर ₹0.12 लाख का भुगतान बारे:-

मनरेगा के तहत चयनित माह 01/2018 के व्यय वाउचरों की जांच के दौरान पाया कि बोर्ड राइटिंग एवं फोटो हेतु एक ही फ़र्म मै० चत्तर आर्ट सर्विसेस से प्रति बोर्ड व फोटो ₹1000 का मूल्य दो तिथियों दिनांक 25.08.17 व 28.08.17 के 11 बिल **(विस्तृत विवरण परिशिष्ट"2" के क्रम संख्या 79,82 व 84 पर दिया गया है)** लेकर कुल ₹11,700 का भुगतान किया गया था, जोकि आपतिजनक है। क्योंकि यदि इस कार्य हेतु निविदाएँ ली गईं होती तो बाज़ार की प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये यह कार्य कम कीमत दे कर भी करवाया जा सकता था जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इस व्यय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न की जाए।

18 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

19 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होगी जिसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था। किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है, अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

20 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो मगर अंकेक्षण के

दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अधिकांश बिलों/ वाउचरों की अदायगियाँ बिना भुगतान आदेशों के ही की गईं थीं। जोकि उक्त नियम प्रावधानों की सरासर उलंघना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 71, दिनांक 10.9.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी संदायों/भुगतानों हेतु सभी बिल/वाउचरों पर नियमानुसार संयुक्त रूप में भुगतान आदेश रिकार्ड किये जाएँ एवं अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए अथवा इन सभी संदायों/भुगतानों की सूची बनाकर इस अनियमितता को सक्षम/उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने उपरांत ही कोई भी संदाय/भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए

21 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं | चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

22 विविध अनियमितताएं

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

22(2) बिल रजिस्टर तैयार न करना:

पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार बिलों के लिए सभी दावे प्ररूप 13 में बनाये जाने बाले रजिस्टर में प्रथमत: प्रविष्ट नहीं किये जा रहे हैं, जिससे बिल विशेष की प्राप्ति उपरांत पंचायत द्वारा उस पर कब क्या कार्यवाही की गई, का पता नहीं चलता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: तुरंत प्रभाव से किसी भी प्राप्त बिल पर आगामी कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व उसकी प्रविष्टि प्रथमत: प्रारूप 13 के रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाये।

23 माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार परीक्षण जांच संचालित करने एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है यद्यपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101 ,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही निर्माण कार्यों के निरीक्षण की अवस्था के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

24 ₹0.10 लाख या इससे अधिक के सभी भुगतान इ-बैंकिंग के माध्यम से करने बारे: -

₹10000 या इससे अधिक के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीजीएस/एनईएफ़टी के माध्यम से किए जाने अपेक्षित हैं। अत: इस संदर्भ में प्रधान सचिव (वित्त), वित्त (रेग्युलेशनज़) विभाग, हि० प्र० सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)-5/2004 दिनांक 23 अगस्त,2011 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित न करने के संबंध में

अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

25 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया l अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर 4 13 (5)		
2	विकास सकर्मों के निष्पादन का रजिस्टर 7 34 हि० प्र० पंचायती राज(सामान्य) नियम, 1997		
3	अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 8 34		
4	बिजली, पानी, टेलीफोन व डाक व्यय बिल रजिस्टर		
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33		, 77 (4)
6	बजट प्राक्कलन 11	, 12	37, 38
7	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर 25 72 (1)		
8	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर 26 72 (1)		ख
9	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर 27 72 (1) (		ग)
10	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)		
11	लिवरी आर्टिकल्स का जांच पड़ताल रजिस्टर।		
12	गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।		
13.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर 13 48		
14.	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर 102		
15	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर 101(2)(		v)

26 प्रत्यक्ष-सत्यापन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह् बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में बिद्दयमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न ह्ोने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :71 दिनांक 10-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

27 लघु आपति विवरणिका:–संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

28 निष्कर्ष:– संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार एवं कड़ी निगरानी/अनुश्रवण(मोनिट्रिंग) की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)68/2018 खण्ड–1–8007–8010 दिनांक 29.11.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत बिझड़ी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता / –
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046